



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 जून 2012—ज्येष्ठ 18, शक 1934

भाग ४

विषय-सूची

- | | | | |
|-----|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) | (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) | (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) | (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 मई 2012

क्र. एफ-03-56-2011-तीन-जेल.—बंदी अधिनियम, 1900 (1900 का 3) की धारा 31—ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश बंदी छुट्टी नियम, 1989 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 4-क में, खण्ड—(1) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(1) बंदी, जिसे कम से कम 03 वर्ष की अवधि के कारावास से दण्डित किया गया हो और जिसने

सजा का आधा भाग या कम से कम 02 वर्ष की कालावधि, परिहार को सम्मिलित करते हुए, इनमें से जो भी कम हो, भुगत ली हो, सामान्य एवं आपात छुट्टी के लिए पात्र होगा” ;

2. नियम 4-ख में, खण्ड—(4) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(4) ऐसा बंदी, जिसका, किसी आपराधिक प्रकरण में, जिसमें किसी भी प्रकार की फरारी के मामले सम्मिलित हैं, अभियोजन किया जा रहा है और उस मामले में प्रतिभूति पर निर्मुक्त हो जाने के बावजूद किसी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हों” ;

3. नियम 4-ग के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“4-ग-कलैण्डर वर्ष (01 जनवरी से 31 दिसम्बर तक) के दौरान बंदी को अधिकतम 42 दिवस की छुट्टी की

पात्रता होगी. छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी, उस वर्ष में, निम्नलिखित रीति में, समस्त तीनों भाग की छुट्टी मंजूर कर सकेगा:—

1. सामान्य छुट्टी भाग—एक—माह जनवरी से माह अप्रैल तक—14 दिवस.
2. सामान्य छुट्टी भाग—दो—माह मई से माह अगस्त तक—14 दिवस.
3. सामान्य छुट्टी भाग—तीन—माह सितम्बर से माह दिसम्बर तक—14 दिवस.

टिप्पणी.—(1) सामान्य छुट्टी के 02 निम्नतर भाग स्वीकृत किए जाने के बीच कम से कम 03 माह का अंतराल रखा जाना अनिवार्य होगा.

(2) छुट्टी के प्रत्येक भाग की अवधि में, घर जाने एवं जेल में वापस आने की यात्रा के समय के रूप में 02 अतिरिक्त दिन सम्मिलित होंगे.

(3) बंदी द्वारा भुगते गए कुल दण्डादेश की अवधि की गणना करते समय छुट्टी की कालावधि और छुट्टी के प्रत्येक भाग हेतु 2 दिनों का यात्रा समय सम्मिलित किया जाएगा.

4. नियम 6 में, खण्ड (क) में, शब्द “जिला मजिस्ट्रेट, जेल अधीक्षक, से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् बंदी की पात्रता के अनुसार समस्त तीनों भाग की छुट्टी मंजूर कर सकेगा” अन्त में, जोड़े जाएं.

5. नियम 8 में,—

(एक) शब्द “जेल महानिरीक्षक,” जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द “महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं” स्थापित किए जाएं.

(दो) खण्ड (ग) में, उप खण्ड (चार) में, शब्द “चारों” के स्थान पर, शब्द “तीनों” स्थापित किए जाएं और शब्द “कृषि” का लोप किया जाए.

6. नियम 10 में, खण्ड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परन्तु यदि जेल अधीक्षक की यह जानकारी में आता है कि, छुट्टी की अवधि के दौरान, बंदी किसी विधि विरुद्ध आचरण में अन्तर्ग्रस्त रहा है, तो इस बारे में अपना समाधान करने के लिए, वह संबंधित पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से इसकी पुष्टि करवाएगा.”

(No. 3 of 1900), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Prisoner's Leave Rules, 1989, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 4-A, for clause-(1), following clause shall be substituted, namely:—

“(1) Prisoner who has been punished with a period of not less than 03 years of sentence and has undergone half of the sentence or a period of not less than 02 years of sentence including remission, which ever is less, shall be eligible for general and emergency leave”;

2. In rule 4-B, for clause (4), following clause shall be substituted, namely:—

“(4) Such prisoner who is being prosecuted in any criminal case including cases of any type of escape and the cases are under trial in the court, in spite of his release on security in that case”;

3. For rule 4-C, the following rule shall be substituted, namely:—

“4-C—During the calendar year (1st of January to 31st December) a prisoner shall be eligible for a maximum leave of 42 days. The leave sanctioning authority may sanction all the three parts of leave in that year in the following manner:—

1. General Leave Part—I—from the month of January to month of April—14 days.

2. General Leave Part—II—from the month of May to month of August—14 days.

3. General Leave Part—III—from the month of September to month of December—14 days.

Note.—(1) It shall be compulsory to keep an interval of not less than a period of 03 months between sanction of 02 successive parts of general leave.

(2) The duration of every part of leave shall include 02 additional days as journey time to travel to home and back to the prison.

(3) The period of leave and the journey time of 02 days for each part of the leave, shall be included while calculating the duration of the prisoner's total sentence undergone.

4. In rule 6, in clause (a), the words "The District Magistrate, may sanction all the three parts of leave as per the eligibility of prisoner, after receiving the report from the Jail Superintendent" shall be added at the end.
5. In rule 8,—
 - (i) for the words "Inspector General, Prisons" wherever they occur, the words "Director General, Prisons and Correctional Services" shall be substituted;
 - (ii) in clause (c) in sub-clause (iv), for the words "four" the words "three" shall be substituted and the word "agriculture" shall be omitted.

6. In rule 10, after clause (f), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that if it comes to the notice of the Jail Superintendent that the prisoner has been involved in any unlawful conduct during the period of leave, to satisfy himself about the same, he shall get it confirmed from the concerned Officer Incharge of the Police Station."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दशरथ कुमार, उपसचिव.